प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0,
कम्प्यूटर सेल,
लखनऊ।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त
उत्तर प्रदेश।

2– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्याः 444 /1–18–2015/क0सेल/27/2008 दिनांक 27 दिसम्बर, 2017

विषयः जाति प्रमाण–पत्रों के सत्यापन एवं उनकी वैधानिकता की जांच के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश सं0 685/26–03–2011, दिनांक 28–02–2011 के अनुपालन करायें जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया शासनादेश सं0 685/26–03–2011 दिनांक 28–02–2011 (प्रतिलिपि संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु जनपद स्तर पर जाति प्रमाण–पत्र सत्यापन समिति का गठन करते हुये जाति प्रमाण–पत्रों के सत्यापन एवं उनकी वैधानिकता की जांच का प्राविधान किया गया है।

2– परिषद स्तर पर ऐसा संज्ञान में आया है कि जाति प्रमाण–पत्रों का सत्यापन एवं उनकी वैधानिकता की जांच उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार न कराकर एकल अधिकारी–तहसीलदार/उपजिलाधिकारी /अपर जिलाधिकारी/जिलाधिकारी द्वारा किया जा रहा है, जो कि शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों का स्पष्ट उल्लघंन है।

3– अस्तु अनुरोध है कि शासनादेश सं0 685/26–03–2011, दिनांक 28–02–2011 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार ही जाति प्रमाण–पत्रों के सत्यापन एवं उनकी वैधानिकता की जांच की कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नः– यथोक्त

भवदीया
31/12/17
(लीना जौहरी)
आयुक्त एवं सचिव।

संख्या व दिनांक उपरोक्त–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित–
(1) प्रमुख सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
(2) संयुक्त सचिव, उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग–9 को उनके पत्र संख्या–वी0आई0पी0–185 –रा0–9, दिनांक 09 अक्ूबर, 2017 के क्रम में।
(3) निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।

(लीना जौहरी)
आयुक्त एवं सचिव।

संख्या-- 685 / 26-3-2011

प्रेषक,

बलविन्दर कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 28 फरवरी 2011

ADM KA-II

विषय:- जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु जनपद स्तर पर जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति का गठित किया जाना ।

महोदय,

D.M.
7/3/11

राज्याधीन सेवाओं में जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन के संबंध में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा माधुरी पाटिल बनाम एडिशनल कमिश्नर ट्राइबल नामक वाद में पारित आदेश संख्या-1994 (6) एस०सी०सी० 241 दिनांक 02 सितम्बर, 1994 के परिप्रेक्ष्य में शासनादेश संख्या-22/16/92-का-2/1996- टी०सी०-III दिनांक 5 जनवरी, 1996 द्वारा प्रमुख सचिव, समाज कल्याण की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर स्क्रूटनी कमेटी का गठन किया गया है, जो जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन के साथ मा० उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जाति संबंधी विवादों में पारित आदेशों के आधार पर निर्देशित मामलों की सुनवाई का अवसर देते हुए निर्णय पारित करती है।

2- जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन और उनकी वैधानिकता की जांच करने तथा इस संबंध में पारदर्शी व्यवस्था बनाने एवं जाति प्रमाण पत्रों के फर्जी बनाये जाने एवं उसके दुरूपयोग को रोकने हेतु मा० उच्चतम न्यायलय के उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में जारी उक्त शासनादेश दिनांक 05 जनवरी, 1996 के अनुक्रम में जाति प्रमाण पत्रों के बनाये जाने और उसके सत्यापन संबंधी मामलों की बहुतायत संख्या को देखते हुए शासनादेश संख्या-128/26-3-2011, दिनांक 27-1-2011 द्वारा जाति प्रमाण पत्रों के मण्डल स्तर पर सत्यापन हेतु मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में अपीलीय फोरम गठित किया गया

श्री संतोष ओ०जे०

है, जिसमें जनपद स्तर पर राजस्व अधिकारियों द्वारा बनाये जाने वाले जाति प्रमाण पत्रों के संबंध में आ रही कठिनाईयों से क्षुब्ध व्यक्ति अपील दायर कर सकते हैं।

3— इसी संदर्भ में दायर रिट याचिका संख्या–1395/2011 (पी0आई0एल0) धारू शक्ति समिति महराजगंज व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन के संबंध में मा0उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12–1–2011 में दिये गये संवीक्षण के परिप्रेक्ष्य में जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन की व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी तथा सुगम बनाये जाने हेतु जनपद स्तर पर भी निम्नानुसार समिति गठित की जाती है :—

| | | |
|---|---|---|
| 1 | जिलाधिकारी | अध्यक्ष |
| 2 | जिलाधिकारी द्वारा नामित<br>एक अपर जिलाधिकारी स्तर का अधिकारी | सदस्य |
| 3 | जिलाधिकारी द्वारा नामित<br>एक उप जिलाधिकारी | सदस्य |
| 4 | जिला समाज कल्याण अधिकारी<br>(अनु0 जाति/अनु0 जनजाति हेतु)<br>एवं<br>जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी<br>(अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु) | सदस्य सचिव |

उपरोक्त समिति के समक्ष यथास्थिति अभ्यर्थी के द्वारा स्वयं, उसके माता–पिता या अभिभावक द्वारा किसी शैक्षिक संस्था में प्रवेश हेतु अथवा किसी सेवा में नियुक्ति के लिए जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा, जिस पर समिति द्वारा सत्यापन की पुष्टि विलम्बतम 15 दिन में कर दी जायेगी।

4— इसके अतिरिक्त उक्त समिति द्वारा जाति प्रमाण पत्रों के संबंध में निम्न प्रकार के मामलों का भी निस्तारण किया जायेगा :—

1. किसी नियुक्ति के पश्चात सेवायोजक द्वारा सेवक के जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन/पुष्टि हेतु प्रस्तुत किये गये मामले।
2. किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूहों के संबंध में जाति प्रमाण पत्रों के न बनाये जाने संबंधी शिकायतों के मामले।
3. जाति प्रमाण पत्रों के फर्जी होने अथवा त्रुटिपूर्ण जाति प्रमाण पत्र बनाये जाने संबंधी मामले।
4. जाति प्रमाण पत्रों के संबंध में किसी अन्य विसंगति के मामले।

5-- समिति उपरोक्त प्रस्तर-4 में उल्लिखित ऐसे सभी मामलों का निस्तारण [illegible]विलम्बतम 30 दिनों के भीतर कर देगी और समिति के निर्णय से क्षुब्ध कोई व्यक्ति उक्त निर्णय के अधिकतम 30 दिन के भीतर शासनादेश संख्या [illegible] 26-3-2011, दिनांक 27-1-2011 द्वारा मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित मण्डलीय अपीलीय फोरम के समक्ष अपील कर सकेगा। उक्त समिति की बैठक माह में कम से कम एक बार अवश्य की जायेगी। जनपद स्तरीय उक्त समिति के गठन के फलस्वरूप मण्डलीय अपील समिति तथा राज्य स्तर पर गठित स्क्रूटनी कमेटी अपने दायित्वों का यथावत निर्वहन करती रहेंगी।

भवदीय,

( बलविन्दर कुमार )
प्रमुख सचिव

संख्या- (1)/26-3-2011 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, उ0प्र0।
5. निदेशक, समाज कल्याण/जनजाति विकास/पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ।
7. निबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ, लखनऊ।
8. सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
9. राज्य के समस्त उपक्रमों/निगमों के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, [illegible] अधिकारी, उ0प्र0।
10. प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों के निबंधक।
11. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
12. वेबमास्टर, समाज कल्याण/गार्डफाइल।

आज्ञा से,

( शशि कान्त [illegible] )
अनु सचिव

श्री संतोष जी0ओ0